63

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियरम०प्र०

निगरानी क्रमांक --------2016

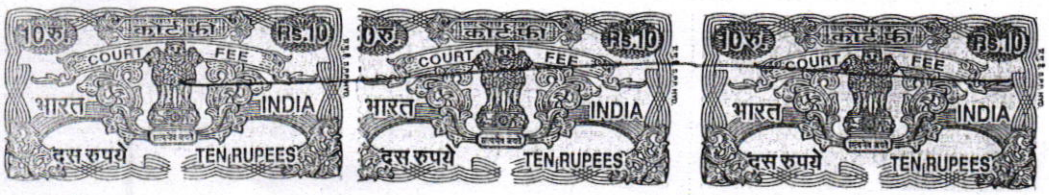

बृजमोहन प्रसाद तनय स्व० रामजी ब्रा० निवासी ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र० R5354-II/16 --आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रामप्रसाद तनय जगदीश प्रसाद ब्रा० पेशा खेती व पेंशनर निवासी ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र० --अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत 02-8-16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्वसंहिता 1959 विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा दिनांक 11-7-16 जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 14/अ6 /2010-11 (रामप्रसाद वि० बृजमोहन वगै०) मे पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11-7-16 जिसके द्वारा आवेदक की आपत्ति संक्षिप्ततः निरस्त की गई सर्वथा विधि-विरूद्ध एवं विधान के प्रतिकूलहोने से निरस्तहोने योग्य है।

2- अनावेदक ने तहसील न्यायालय में ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह तहसील सिरमौर जिला रीवा स्थित भूमि नंबर 360/4, 360/879/1 के संबंध में वारिसाना नामान्तरण किये जाने के लिए आवेदन दिया था मामले में यह स्वीकृति सत्य है कि उपरोक्त भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व में है और राजस्व अभिलेखों में भी निगरानीकर्ता का नाम दर्ज है। तदानुसार वारिसाना नामान्तरण का प्रश्न ही नहीं है।

3- आपत्तिकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित आपत्ति पेश करके प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित द्वितीय अपील के निराकरण तक स्थगित रखने का आवेदन दिया गया था, जिस आवेदन को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने केवल इस तकनीकी के लिए निरस्त कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हैवस्तुत: जब अपील किसी निर्णय के विरूद्ध लंबित हो तो अपीलाधीन निर्णय के अंतिम तक समाप्त हो जाती है। ऐसा 1990 रा०नि० 114 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है

यथा है कि ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5354–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/4/18	यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 14 अ–6/10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–7–16 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 11–7–16 के अवलोकन से परलिक्षित है कि तहसीलदार सिरमौर ने आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की है कि तत्का. तहसीलदार सिरमौर ने प्रकरण कमांक 1 अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 6–10–06 से भूमि सर्वे कमांक 360/4 रकबा 0.98 एकड़ का नामान्तरण व्यवहार वाद कमांक 79 ए/97 में पारित आदेश दिनांक 15–10–05 के आधार पर किया है जिसमें आराजी नंबर 360/879/1 रकबा 0.10 एकड़ सम्मिलित नहीं है। सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 15–10–05 पर मान. जिला न्यायालय व्दारा यह निर्णय दिया है कि आ0नं0 360/4 रकबा 0.98 ए. का आपत्तिकर्ता को भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आदेश निरस्त किया जाता है। मान. जिला न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तत्का. तहसीलदार सिरमौर का आदेश दिनांक 6–10–06 प्रभावहीन है और इस आदेश के विरूद्व मान0 उच्च न्यायालय से कोई	

स्थगन आदि भी नहीं है जिसके आधार पर तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता (आवेदक) व्दारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की है एंव प्रकरण मूल दावे के उत्तर हेतु आगे की तिथि में नियत किया है जिसके कारण तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14 अ–6/10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–7–16 में किसी प्रकार का दोष नहीं है। आवेदक जिस अनुतोष को पाने की प्रत्यासा राजस्व मण्डल से कर रहा है वह अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष भी रख सकता है क्योंकि आवेदक के पास तहसीलदार के समक्ष आगे पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य